

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों - जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं - का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी “कर तरजीह” भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का “कर व्ययों” के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं वरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है - कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुरूपात्मक रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबन्ध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इशारे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के रूप में तथा “परित्यक्त राजस्व का विवरण” नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले पांच वर्ष की भाँति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए है और यही सबसे हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2009-10 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों के आधार पर जो 2010-11 के संग्रहण संबंधी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर प्रक्षेपित किए गए थे। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धमार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2009-10 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2010-11) के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक 4,27,811 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2010-11 में अनुमानित की गई कुल निगमित विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2009-10 में उनकी आय पर 1,93,869 करोड़ रुपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सन्देश 12595 करोड़ रुपये के लाभांश वितरण कर की भी सूचना दी है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 4,27,811 कम्पनियों के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका व्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

- 2,49,977 कम्पनियों (58.43 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कर देने से पहले 8,23,937 करोड़ रुपये का लाभ तथा 5,39,408 करोड़ रुपये की कुल आय² (कर योग्य आय) की जानकारी दी है।
- 1,49,283 कम्पनियों (34.9 प्रतिशत) ने 1,85,585 करोड़ रुपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 28,551 कम्पनियों (6.67 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर³ 23.53 प्रतिशत⁴ थी (जबकि 2008-09 में यह दर 22.78 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सामाजिक कर दर 33.99 प्रतिशत थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में जाना जाएगा), 500 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक था- कुल 216 कम्पनियां- का कुल पीबीटी 55.75 प्रतिशत था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 53.43 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 22.55 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनका पीबीटी एक करोड़ रुपए तक था, की प्रभावी कर दर 25.70 प्रतिशत थी।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (67.45 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (77.90 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2009-10) (सैम्पल आकार-427811)

| क्रम सं. | करों से पूर्व मुनाफा | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में) | कुल आय में हिस्सा (% में) | संदेश कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में) | करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|----------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|
| 1 | शून्य से कम | 149283 | 0.00 | 0.38 | 0.33 | - | - |
| 2 | शून्य | 28551 | 0.00 | 3.25 | 1.63 | - | - |
| 3 | 0-1 करोड़ रुपए | 223888 | 3.13 | 3.72 | 3.42 | 77.90 | 25.70 |
| 4 | 1-10 करोड़ रुपए | 20621 | 7.54 | 7.77 | 8.00 | 67.46 | 24.97 |
| 5 | 10-50 करोड़ रुपए | 3880 | 10.08 | 9.53 | 10.19 | 61.92 | 23.79 |
| 6 | 50-100 करोड़ रुपए | 680 | 5.71 | 5.08 | 5.54 | 58.19 | 22.82 |
| 7 | 100-500 करोड़ रुपए | 692 | 17.79 | 16.31 | 17.46 | 60.03 | 23.09 |
| 8 | 500 करोड़ रुपए से अधिक | 216 | 55.75 | 53.95 | 53.43 | 63.35 | 22.55 |
| 9 | सभी नमूना कंपनियां | 427811 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.47 | 23.53 |

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 68,918 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 46.20 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 21.47 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 27.08 प्रतिशत बैठता था। 42,744 कम्पनियों, जिनका कुल लाभ 14.83 प्रतिशत और कुल कर 24.46 प्रतिशत था, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। यह आयकर अधिनियम के तहत कतिपय व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा के नामे डाले जाने को अस्वीकृति दिए जाने के कारण है।

1 वित्त वर्ष 2008-09 के लिए नमूना आकार 3,66,233 था।

2 आयकर विवरणी में "कुल आय" कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

3 कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदेश कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

4 लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 25.06 प्रतिशत थी।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2009-10) (सैम्प्ल आकार-427811)

| क्रम सं. | प्रभावशाली कर दर (प्रतिशत में) | कम्पनियों की संख्या | कुल लाभों में हिस्सा (प्रतिशत में) | कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में) | संदेय कुल कर में हिस्सा (प्रतिशत में) |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | शून्य से कम तथा शून्य | 164984 | 3.05 | 0.44 | 0.33 |
| 2 | 0-20 | 68918 | 43.15 | 21.03 | 26.75 |
| 3 | 20-25 | 14491 | 7.83 | 8.00 | 7.57 |
| 4 | 25-30 | 24049 | 15.46 | 18.97 | 17.79 |
| 5 | 30-33.99 | 84074 | 15.66 | 22.77 | 21.46 |
| 6 | >33.99 | 42744 | 14.83 | 25.53 | 24.46 |
| 7 | अनिधारण | 28551 | 0.00 | 3.25 | 1.63 |
| 8 | सभी नमूना कंपनियां | 427811 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (पीएसयू केवल) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकारी कम्पनियां निजी कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र में सरकार की बहुत बड़ी राशि कर व्यय के रूप में खर्च करनी पड़ती है।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्प्ल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2009-10) (सैम्प्ल आकार-427053)

| क्रम सं. | क्षेत्र | कम्पनियों की संख्या | कुल लाभों में हिस्सा (% में) | संदेय कुल कर में हिस्सा (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|----------|---------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | सरकारी | 2153 | 23.45 | 25.23 | 25.36 |
| 2 | निजी | 424900 | 76.55 | 74.77 | 23.03 |
| | योग | 427053 | 100.00 | 100.00 | 23.58 |

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है। नमूना आकार अन्य सारणियों से थोड़ा कम है क्योंकि कुछ विवरणियों की पीएसयू ऑप्शन को भरा नहीं गया था।

सारणी 4 में सैम्प्ल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। सेवा क्षेत्र की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी कर दर कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्प्ल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2009-10) (सैम्प्ल आकार-427053)

| क्रम सं. | क्षेत्र | कम्पनियों की संख्या | कुल लाभों में हिस्सा (% में) | संदेय कुल कर में हिस्सा (% में) | प्रभावी कर दर (% में) |
|----------|-----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | विनिर्माण | 115366 | 51.7 | 51.33 | 23.40 |
| 2 | सेवा | 311687 | 48.27 | 48.67 | 23.77 |
| | योग | 427053 | 100.00 | 100.00 | 23.58 |

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है। नमूना आकार अन्य सारणियों से थोड़ा कम है क्योंकि कुछ विवरणियों की पीएसयू पताका देखे नहीं गए थे।

सारणी 5 वित्त वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान हुए राजस्व परित्याग के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। इन कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना प्रत्येक छूट राशि पर 33.99 प्रतिशत की कम्पनी कर दर लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास, कटौती/ भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण हुए राजस्व परित्याग की गणना पहले कम्पनियों के लाभ एवं हानि खातों

में डेबिट किए गए मूल्यहास/ कटौती एवं आयकर अधिनियम के तहत अनुमत मूल्यहास/ कटौती के बीच के अन्तर की गणना करके की जाती है। तत्पश्चात् परित्यक्त राजस्व के आंकड़े पर आने के लिए इस अंतर पर 33.99 प्रतिशत की निगम कर दर लागू किया गया है।

वित्त वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2010-11 के लिए अनुमान 2009-10 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर परित्यक्त राजस्व वर्ष में संगृहीत वास्तविक निगम कर (2,44,725 करोड़ रुपए) से अनुपात की गणना कर एवं तत्पश्चात् उसी अनुपात को 2010-11 के निगम कर संग्रहण (2,96,377 करोड़ रुपए) के संशोधित अनुमान पर लागू करके लगाया जाता है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान हुए राजस्व परित्याग के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 427811)

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरूप | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10) | दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2010-11) |
|----------|---|--|---|
| 1 | एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 9497 | 11501 |
| 2 | ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 102 | 124 |
| 3 | सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 4233 | 5126 |
| 4 | ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 32 | 39 |
| 5 | एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 35 | 42 |
| 6 | निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख) | 3085 | 3736 |
| 7 | कलात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक) | 26 | 31 |
| 8 | त्वरित मूल्य हास (धारा 32) | 29308 | 35494 |
| 9 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1) (2कक)एवं (2ख(क)) | 2416 | 2926 |
| 10 | जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग) | 104 | 126 |
| 11 | धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 554 | 671 |
| 12 | वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक) | 1 | 1 |
| 13 | राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख) | 42 | 51 |
| 14 | कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ) | शून्य | शून्य |
| 15 | अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक) | 2592 | 3139 |
| 16 | सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 354 | 429 |
| 17 | दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 3510 | 4251 |
| 18 | बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 7236 | 8763 |
| 19 | विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 214 | 259 |
| 20 | सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में | | |

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरूप | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09) | निरुपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10) |
|--------------|--|--|--|
| | लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 757 | 917 |
| 21 | लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 137 | 166 |
| 22 | जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 217 | 263 |
| 23 | जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछडे राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 372 | 451 |
| 24 | पिछडे जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 97 | 117 |
| 25 | मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 2 | 2 |
| 26 | वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 68 | 82 |
| 27 | खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 1056 | 1279 |
| 28 | आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 986 | 1194 |
| 29 | कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 2 | 2 |
| 30 | खाद्यान्धों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 43 | 52 |
| 31 | फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्काशन और पेकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 72 | 87 |
| 32 | ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाक्ख) | 3 | 4 |
| 33 | पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 1247 | 1510 |
| 34 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 89 | 108 |
| 35 | उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 2200 | 2664 |
| 36 | हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 2127 | 2576 |
| 37 | जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जञक) | 21 | 25 |
| 38 | नए कामगारों को राजगारों के संबंध में कटौती (धारा 80 जञक) | 29 | 35 |
| 39 | अपतटीय बैंकिंग यूनिटों(ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक) | 15 | 18 |
| योग : | | 72881 | 88263 |

यद्यपि पिछले वर्ष 2009-10 के लिए निरुपित राजस्व परित्याग 79,554 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब 72,881 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 8.38 प्रतिशत कम है।

त्वरित मूल्य हास लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत कर राजस्व की सर्वाधिक राशि (29,308 करोड़ रुपए) का परित्याग हुआ है।

विभिन्न क्षेत्रों में, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी), निर्यातोन्मुख उपक्रमों (ईओयू), विद्युत एवं दूर संचार क्षेत्रों के लिए कटौतियों का कुल कर परित्याग में क्रमशः 13 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत हिस्सा है।

पिछले वर्ष की विवरणी में वित्त वर्ष 2009-10 के लिए एसईजैड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ पर राजस्व परित्याग 3,183 करोड़ रुपए निरूपित किया गया था। तथापि, इन यूनिटों के लिए उसी वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग की अब गणना 4,233 करोड़ रुपए की गई है। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए इन्हीं यूनिटों के लिए 5,126 करोड़ रुपए की कटौती होने का अनुमान किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 में कटौती में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए धारा 10क एवं 10कक के संबंध में वित्त वर्ष 2010-11 में वास्तविक राजस्व परित्याग अनुमान से अधिक हो सकता है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्नतर रेंज में आई टी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइडर्स एवं बी पी ओ सर्विस प्रोवाइडर्स तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसियों की प्रभावी कर दर क्रमशः 15.1 प्रतिशत एवं 18.0 प्रतिशत पर है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2009-10 की आय के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसम्बर, 2010 तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से 3,95,458 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 3,95,458 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। 31 दिसम्बर, 2010 तक इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने अपनी विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक रूप से दायर की थी। वित्त वर्ष 2009-10 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदर्भ कर बहुत बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएः

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 61,569 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन 8.7 प्रतिशत हानि की सूचना दी गई) तथा 42,380 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2009-10 के लिए संदेय आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 12,796 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर दर⁵ 20.78 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेविट किए गए मूल्यहास/कटौती और फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ एवं हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वारित मूल्यहास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। तत्पश्चात, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 30.90 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि संदर्भ कर की दृष्टि से नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2009-10 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2010-11 के लिए अनुमान फर्मों/एओपी/बीओआई से वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आय कर (15,782 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 2009-10 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन का कर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2010-11 में आयकर संग्रहण के संशोधित अनुमान (17,709 करोड़ रुपए) के इसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है (सारणी-6)।

वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। कुल मिलाकर उच्चतम कर व्यय, उपक्रमों के लाभों पर कटौती, जो कि आवासीय परियोजनाओं जो कुल राजस्व परित्याग का 33.55 प्रतिशत बैठती हैं, के कारण हैं।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार-395458)

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरूप | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10) | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2010-11) |
|----------|---|---|---|
| 1 | एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 67 | 75 |
| 2 | ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | शून्य | शून्य |

5. फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभ (पीबीटी) के संदर्भ कुल कर (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरूप | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10) | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2010-11) |
|----------|--|---|---|
| 3 | सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक) | 296 | 333 |
| 4 | ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 7 | 8 |
| 5 | एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क) | 1 | 1 |
| 6 | निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख) | 352 | 395 |
| 7 | कलात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक) | 1 | 1 |
| 8 | त्वरित मूल्य हास (धारा 32) | 439 | 493 |
| 9 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं (2खक) | 2 | 2 |
| 10 | जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग) | 33 | 36 |
| 11 | पूण्यार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 38 | 43 |
| 12 | वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक) | शून्य | शून्य |
| 13 | राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग) | 2 | 2 |
| 14 | कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ) | शून्य | शून्य |
| 15 | अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक) | 24 | 26 |
| 16 | सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 56 | 64 |
| 17 | दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 1 | 1 |
| 18 | बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 27 | 31 |
| 19 | विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक) | 3 | 3 |
| 20 | सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख) | 2 | 2 |
| 21 | लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 80 | 90 |
| 22 | जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 84 | 94 |
| 23 | जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछडे राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 27 | 31 |
| 24 | पिछडे जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 10 | 11 |
| 25 | मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेशन सेंटर से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | 1 | 1 |
| 26 | वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | शून्य | शून्य |
| 27 | खनिज तेल के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख) | शून्य | शून्य |

| क्रम सं. | प्रोत्साहन का स्वरूप | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10) | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2010-11) |
|--------------|--|---|---|
| 28 | आवास परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाख) | 1625 | 1824 |
| 29 | कोल्ड चेन फेसिलिटी के प्रचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाख) | 3 | 3 |
| 30 | खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाख) | 2 | 2 |
| 31 | फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्काश और पेकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाख) | 6 | 7 |
| 32 | ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञाख) | शून्य | शून्य |
| 33 | पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 280 | 315 |
| 34 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 295 | 332 |
| 35 | उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 252 | 283 |
| 36 | हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80ज्ञग) | 377 | 424 |
| 37 | जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जजक) | 4 | 4 |
| 38 | अपतटीय बैंकिंग यूनिटों(ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक) | शून्य | शून्य |
| 39 | सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त) | 447 | 502 |
| योग : | | 4845 | 5436 |

ग. व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान 31 दिसम्बर, 2010 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा दाखिल 3530741 विवरणियों में अधिमानताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2009-10 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य महत्वपूर्ण कर व्यवहारिकों (65 या अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) तथा महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण था।

35,30,741 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण करदाताओं की संख्या के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान निम्न प्रकार किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं 021 एवं 22) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं प्रति महिला परित्यक्त राजस्व का उनकी संबंधित संख्या से गुणन कर किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन कर किया गया है। इसके पश्चात् इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2009-10 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या पर लगाया गया है। 31 दिसम्बर, 2010 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रोनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 35,30,741 है। पिछले वर्ष के 2,79,49,329 अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वर्ष 2009-10 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 2,93,46,795 अनुमानित है। नमूना विवरणियों के अनुसार 5.69 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा शेष विवरणियों का 26.56 प्रतिशत महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) द्वारा दाखिल किया गया। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन

1,60,000 रु० की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्च बुनियादी छूट सीमा (क्रमशः 2,40,000रु० तथा 1,90,000रु०) के बीच अन्तर और अन्तर पर 10 प्रतिशत (और उपर) की निम्नतम कर दर लगाने को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके पश्चात प्रत्येक ऐसे करदाता के कारण परित्यक्त राजस्व की परिकल्पना ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान के आधार पर की गई है।

(ii) विशिष्ट तौर पर धारा 80-झक, 80-कख, 80-झग (सारणी 7 की क्रम सं० 12 से 15) के अंतर्गत कटौती के मामले में परित्यक्त राजस्व का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा किए गए कुल दावों का 90 प्रतिशत है क्योंकि वित्त वर्ष 2009-10 की आय के लिए सभी लेखा परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अंतर्गत थीं।

(iii) अन्य सभी मामलों में सभी करदाताओं के लिये परित्यक्त राजस्व का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है-

(क) सबसे पहले आयकर की प्रत्येक 'स्लैब' के लिये, जिसकी कि 'सैम्पल रिटर्न' में अलग-अलग दर है, प्रति कर दाता औसत परित्यक्त राजस्व की गणना की जाती है।

(ख) दूसरे सैम्पल में कुल करदाता रिटर्न कुल कर दाता के अनुपात की गणना की जाती है।

तत्पश्चात (क) और (ख) के गुणनफल को सैम्पल के कुल कर दाता विवरणियों की संख्या जो कि संबंधित आय के 'स्लैब' में आते हैं, से गुणा किया जाता है, तब किसी प्रोत्साहन विशेष के लिए आयकर के उस स्लैब के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है। सभी स्लैबों के राजस्व परित्यक्त को जोड़ने पर किसी विशेष कर प्रोत्साहन के लिए सम्पूर्ण जनसंख्या का परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2009-10 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान इस तरह से लगाया गया है कि वर्ष 2009-10 में वैयक्तिक करदाता से प्राप्त वास्तविक आयकर (1,17,050 करोड़ रुपये) की तुलना में इस वर्ष के प्रत्येक कर प्रोत्साहन का अनुपात निकाला गया फिर इसी अनुपात को वर्ष 2010-11 में लोगों से संग्रहीत कुल आयकर पर (1,31,357 करोड़ रुपये) के अनुमान पर लागू किया गया है।

जैसा कि ऊपर बौरा दिया गया है, सारणी 7 में वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के परित्यक्त राजस्व की दृष्टि से वैयक्तिक करदाताओं पर हुए प्रमुख कर खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 (नमूना आकार – 3530741) के दौरान व्यक्ति करदाताओं पर मुख्य कर व्यय

| क्रम सं. | प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2009-10) | लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2010-11) |
|----------|--|---|--|
| 1 | कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग) | 33348 | 37424 |
| 2 | कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग) | 227 | 225 |
| 3 | नवी पेंशन स्कीम में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ) | 28 | 31 |
| 4 | स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ) | 1080 | 1212 |
| 5 | आश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (80घघ) | 107 | 120 |
| 6 | विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख) | 43 | 48 |
| 7 | उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.) | 191 | 214 |
| 8 | धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ) | 761 | 854 |
| 9 | हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ) | 74 | 83 |
| 10 | वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक) | 53 | 59 |
| 11 | राजनीतिक दलों को दिए गए चन्दे के कारण कटौती (80छछग) | 170 | 191 |
| 12 | अवसंरचना सुविधाओं, एसईजैड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभ की कटौती (80झक) | 210 | 236 |
| 13 | एसईजैड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजैड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख) | 215 | 241 |
| 14 | आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के नियंत्रण, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों से प्राप्त | | |

| क्रम सं. | प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति | राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2009-10) | लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2010-11) |
|----------|---|---|--|
| | औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख) | 1 | 1 |
| 15 | पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग) | 5 | 56 |
| 16 | जैव – उपचयन अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जरक) | शून्य | शून्य |
| 17 | भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (80थथक) | शून्य | शून्य |
| 18 | पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथरख) | 17 | 19 |
| 19 | पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख) | 1 | 1 |
| 20 | विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प) | 118 | 132 |
| 21 | वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा | 1376 | 1544 |
| 22 | महिलाओं हेतु उच्च छूट सीमा | 2272 | 2550 |
| योग | | 40297 | 45222 |

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश, आवास ऋण के मूलधन की वापसी और बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) पर होने वाला खर्च वैयक्तिक कर दाताओं के मामले में अकेला सबसे बड़ा खर्च है। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) की कटौती पर होने वाला खर्च आता है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को आधारभूत छूट की सीमा अधिक होने के कारण होने वाला परित्यक्त राजस्व भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौती का संबंध है यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक और धारा 80झकख के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा खर्च है।

अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अनेक मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर ये शुल्क लगाए जाने चाहिए। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों उत्पाद शुल्क की "टैरिफ दरों" के रूप में ज्ञात हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को जनहित में छूट अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वह अनुसूचियों में विहित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें विहित कर सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा विहित दरें "प्रभावी दरों" के रूप में ज्ञात हैं।

परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी करने के लिए छोड़कर देय होने वाले शुल्क और सम्बद्ध वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है:-

- उन मामलों में जहां शुल्क की टैरिफ और प्रभावी दरों को यथामूल्य दरों में लगाई जाती है-

परित्यक्त राजस्व = माल का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

- उन मामलों में जहां छूट अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ दर यथा मूल्य आधार पर परन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट दरों पर लगाया गया है, वहां -

परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (माल की मात्रा X विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

- उन मामलों में जहां टैरिफ दरें और प्रभावी दरें यथा मूल्य और विशिष्ट दरों का योग है, परित्यक्त राजस्व का परिकलन तदनुसार किया जाता है।

- उपर्युक्त सभी मामलों में शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर होने पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्तियों के अलावा, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के जरिए आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में मामला दर मामला आधार पर उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करने हेतु विशेष आदेश जारी करने की शक्तियां भी हैं। तथापि, सामान्य छूटों जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न अंग है, से हटकर छूट आदेशों को जारी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों से निपटना है। इसलिए विशेष छूट आदेशों को जारी करने के कारण परित्यक्त शुल्क का परिकलन परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं किया जा रहा है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के लिए परित्यक्त शुल्क का अनुमान करने के लिए वर्ष 2006-07 के बजट में शुरूआत की गई थी। अनुमान शुल्क भुगतान करने वाली यूनिटों द्वारा दायर आवधिक विवरणियों से संग्रहित आंकड़ों तथा 'सरमन' सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 विभिन्न जोनों में क्षेत्रीय कार्यालयों और 4 बड़ी करदाता यूनिटों (एल टी यू) द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़े होते हैं, द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के आधार पर आधारित थे। तथापि, विस्तृत संगणकीकरण के अभाव में अधिक शुद्धता के साथ परित्यक्त राजस्व का अनुमान करना कठिन पाया गया। संगणकीकरण के संवर्धित स्तरों और सरमन द्वारा रखे जाने वाले विस्तृत और संवर्धित आंकड़ों के साथ बाद के वर्षों के लिए परित्यक्त राजस्व का निर्धारण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ किया गया है। चूंकि सरमन द्वारा रखे गए परित्यक्त राजस्व में क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त राजस्व की राशि शामिल नहीं है, उक्त सूचना/आंकड़ों का संग्रहण पृथक रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से किया जाता है और इसे कुल परित्यक्त राजस्व जानने के लिए जोड़ दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान भी वर्ष के भाग अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर, 2009 के लिए आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया गया। तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान 1,70,765 करोड़ रु. [1,64,883 करोड़ रु. +5,882 करोड़ रु. (क्षेत्र आधारित छूट के लिए)] है।

वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त शुल्क का संशोधित आंकड़ा पुनः आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के साथ सरमन आंकड़ों पर आधारित है। क्षेत्र आधारित छूटों की स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त राजस्व संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन से पृथक रूप से प्राप्त कर जोड़े गए हैं। तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित परित्यक्त राजस्व 1,70,765 करोड़ रु. के प्राक्कलन की तुलना में 169121 करोड़ रु. है। संशोधित आंकड़े में मामूली कमी टैरिफ दर और मार्च, 2010 के महीने में 8% से 6% की प्रभावी दर के बीच अंतर में कमी के कारण है।

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2010-11 के लिए परित्यक्त राजस्व प्रकलन का परिकलन भी एसीईएस प्रणाली से आंकड़ा आधार का प्रयोग करते हुए वर्ष के शेष भाग अर्थात् अप्रैल-नवम्बर, 2010 के लिए आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया गया।

तदनुसार वित्त वर्ष 2010-11 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान क्षेत्र आधारित छूट के लिए 11,250 करोड़ रु. सहित 1,98,291 करोड़ रु. है। 1,98,291 करोड़ रु. का अनुमान 1,69,121 करोड़ रु. के विगत वर्ष के संशोधित आंकड़े से लगभग 17% की वृद्धि को दर्शाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि निकासी की मात्रा में कुल वृद्धि हुई परन्तु टैरिफ दर और वर्ष 2010-11 के दौरान प्रभावी दर के बीच अंतर 8% से घटकर 6% हो गया।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का प्रश्न है, फिलहाल दो प्रकार की योजनाएं चल रही (i) प्रतिदायों पर आधारित और (ii) तुरंत छूट, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के मामले में है। प्रतिदायों पर आधारित छूटों के मामले में, परित्यक्त राजस्व की गणना वैयक्तिक इकाइयों को वास्तव में स्वीकृत प्रतिदायों के जोड़ या वर्ष में उनके द्वारा किए गए दावे के आधार पर की जाती है। वर्ष 2010-11 की पूरी अवधि में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर में 10% की मामूली वृद्धि करने से, यह स्पष्ट है कि प्रतिदायों की मात्रा कम बढ़ेगी।

परित्यक्त राजस्व के आंकड़े नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं।

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय

| क्रम सं. | छूट के ब्यौरे | परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए में) | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2009-10 प्राक्कलन | 2010-11 संशोधित | 2010-11 प्राक्कलन |
| 1 | पूर्वोत्तर के राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर; गुजरात के कच्छ जिले में लागू क्षेत्र आधारित छूटें | 5882 | 8553 | 11250 |
| 2 | अन्य | 164883 | 160568 | 187041 |
| | योग | 170765 | 169121 | 198291 |

ख. सीमा शुल्क

आयात पर सीमा शुल्क ड्यूटी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क "टैरिफ दरें" अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसे "टैरिफ दरें" कहा जाता है, में निर्धारित दर से वसूला जाता है। सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 में अतिरिक्त सीमा शुल्क की उगाही का भी प्रावधान (जिसे आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सी वी शुल्क कहा जाता है) है, जिसकी उगाही उसी दर से की जाती है, जो ऐसे माल का विनिर्माण भारत में होने पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर हो। उत्पाद शुल्क की उगाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरसूची अधिनियम, 1985 की अनुसूची एवं विभिन्न वित्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को लोकहित में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी है जिससे निर्धारित शुल्क की दर सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दरों से कम हो। अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों को "प्रभावी दरें" कहते हैं।

इस प्रकार परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी न होने पर संदेय शुल्क और संगत अधिसूचना के निबंधनों के अनुरूप प्रदत्त शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में,

परित्यक्त राजस्व = मूल्य x (शुल्क की दरसूची दर-शुल्क की प्रभावी दर)

इस प्रकार, यदि टैरिफ की दर प्रभावी दर के बराबर हो तो परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का प्राक्कलन, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटाअंतरण (ई डी आई) अवस्थानों पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण प्रणाली (आई सी ई एस) में दायर आगम पत्रों से उत्पन्न डेटा के आधार पर किया जाता है। फिर भी, ई डी आई प्रणाली में चूंकि छोटे पत्तनों से किए गए आयात के डेटा शामिल नहीं हो पाते जो या तो ई डी आई कवरेज से बाहर होते हैं या वहां पर आगम पत्र हाथ से दायर किए जाते हैं, इसलिए हमारे पास उपलब्ध ई डी आई डेटा से परित्यक्त सीमा शुल्क राजस्व की पूरी तर्सीर नहीं उपलब्ध होती।

परित्यक्त राजस्व डेटा में मूल सीमा शुल्क ऊँटी, सी वी ऊँटी से छूट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाएं भी शामिल की जाती हैं जो सी वी ऊँटी की उगाही से संगत होती हैं। इसमें 4% की विशेष सी वी डी से छूटें भी शामिल की जाती हैं।

वर्ष 2009-10 में 66259 करोड़ रु. के वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के समक्ष ई डी आई डेटा द्वारा बताया गया सकल सीमा शुल्क राजस्व 85847 करोड़ रु. था। इस प्रकार ई डी आई डेटा वर्ष 2009-10 के वास्तविक सूचित सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 77% दर्शाता है। जहां 2008-09 के लिए ई डी आई डेटा, वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 83% दर्शाता है, 2007-08 के लिए यह आंकड़ा 82% था। प्रभाव में, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े का प्राक्कलन, पर्याप्त वृहत नमूने के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2009-10 के अनन्तिम परित्यक्त राजस्व की गणना के लिए समुचित समायोजन के बाद ई डी आई डेटा को जहां जरुरत हुई बढ़ाया गया। चूंकि ई डी आई डेटा खाद्य तेलों, पेय, खनिजों एवं अयस्कों, पेट्रोलियम उत्पादों/कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त राजस्व की सही तर्सीर पेश नहीं करता क्योंकि इन्हें आमतौर से ऐसे सीमा शुल्क अवस्थानों के माध्यम से भारी तादात में आयात किया जाता है जो ई डी आई पर नहीं हैं (अर्थात् छोटे पत्तन) अतः इन मदों से प्राप्त राजस्व के आकड़े अलग से एकत्र किए गए। ई डी आई डेटा के अनुसार वर्ष 2009-10 में प्राप्त कुल राजस्व 66259 करोड़ रु. था। फिर भी इन जिंसों से वास्तव में प्राप्त राजस्व को ई डी आई डेटा में जोड़ देने पर यह बढ़कर 77335 करोड़ रु. या कुल राजस्व का लगभग 90% हो गया।

संपूर्ण कवरेज के लिए समुचित समायोजन करने के बाद, समस्त छूट अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2009-10 (अनन्तिम) का परित्यक्त राजस्व 233950 करोड़ रु. है।

वर्ष 2010-11 (प्राक्कलित) की प्राक्कलित राजस्व की गणना करने के लिए यही तरीका अपनाया गया और अप्रैल, 2010 से सितंबर, 2010 तक की अवधि के राजस्व आकड़े का 12 महीने के लिए बहिर्वेशन करने पर 228500 करोड़ रु. का आंकड़ा प्राप्त हुआ जो पिछले साल के परित्यक्त राजस्व में 2% की कमी दर्शाता है।

2009-10 में दर्ज परित्यक्त राजस्व की तुलना में इस वर्ष थोड़ी कमी (पिछले वर्ष से 2%) हुई है क्योंकि पिछले साल कच्चे पेट्रोलियम पर सीमा शुल्क शून्य था, इसलिए उस अवधि में परित्यक्त राजस्व अधिक था, फिर 27.2.2010 से उस पर 5% की दर से सीमा शुल्क लगा दिया गया इसलिए कच्चे पेट्रोलियम पर परित्यक्त राजस्व कम हुआ। इसी बीच रिफाइनर्ड पेट्रोलियम उत्पाद के सीमा शुल्क दरों में बढ़ोत्तरी की गई। इसके अलावा राजस्व की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण मदों जैसे खाद्य तेलों, इस्पात आदि पर सीमा शुल्क की प्रभावी दरों में कोई कमी नहीं हुई; 2% सी वी डी की भी वृद्धि हुई, सी वी डी की उगाही में वृद्धि हुई जिससे विशेष सी वी डी की उगाही में वृद्धि हुई इससे परित्यक्त राजस्व में कमी हुई।

प्रमुख जिन्स समूहों और सकल परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के कारण वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 की अवधि में परित्यक्त सीमा शुल्क को सारणी 9 में निम्न प्रकार दिया गया है :-

सारणी-9 : परित्यक्त राजस्व में महत्वपूर्ण वस्तु ग्रुपों का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

| क्षेत्र | परित्यक्त राजस्व | 2009-10(अनन्तिम) | | 2010-11 (अनुमानित) | |
|-----------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत | परित्यक्त राजस्व | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत | परित्यक्त राजस्व |
| कच्चा तेल और खनिज तेल | 46127 | 19.72 | 40893 | 17.90 | |
| मीनरी | 30514 | 13.04 | 23209 | 10.16 | |
| हीरा और सोना | 42440 | 18.14 | 48798 | 21.36 | |

| क्षेत्र | 2009-10 (अनंतिम) | | 2010-11 (अनुमानित) | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | परित्यक्त राजस्व | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत | परित्यक्त राजस्व | कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत |
| खाद्य सज्जियां फल, अन्न, वनस्पति तेल | 33221 | 14.20 | 29069 | 12.72 |
| मूल भूत धातुएं और उनसे निर्मित सामान | 13883 | 5.93 | 11588 | 5.07 |
| केमिकल्स एंड प्लास्टिक | 16622 | 7.10 | 17002 | 7.44 |
| वस्त्र | 9480 | 4.05 | 11943 | 5.23 |
| उर्वरक | 6705 | 2.87 | 6622 | 2.90 |
| लवण और अयस्क | 6674 | 2.85 | 7518 | 3.29 |
| दवाइयां | 2284 | 0.98 | 3027 | 1.32 |
| कुल | 207949 | 88.89 | 199669 | 87.38 |

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्यायों में से प्रत्येक के लिए परित्यक्त राजस्व का आंकड़ा सारणी में निम्न प्रकार है :

सारणी :10 सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर व्यय के अनुमान

(करोड़ रुपये में)

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2009-10 (अनंतिम) | | 2010-11 (अनुमानित) | |
|--------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | 2009-10 (अनंतिम) | 2010-11 (अनुमानित) | (अनुमानित) | (अनुमानित) |
| 1 | जीवित पशु | 2 | | 2 | |
| 2 | मीट एंड ईडिबिल मीट ऑफल | 6 | | 4 | |
| 3 | मछली और झीगा अन्य जलचर | 39 | | 22 | |
| 4 | डेयरी प्रोडक्ट्स | 159 | | 615 | |
| 5 | पशु मूल के अन्य उत्पाद | 32 | | 54 | |
| 6 | हरे भरे पेड़ और अन्य पौधे | 5 | | 7 | |
| 7 | खाद्य वनस्पतियां मूल और कन्द | 5281 | | 4108 | |
| 8 | ईडिबिल फ्रूट एंड नट्स | 2096 | | 2201 | |
| 9 | काफी, चाय, मांस और मसाले | 873 | | 746 | |
| 10 | अनाज | 341 | | 691 | |
| 11 | मिलिंग उद्योग के उत्पाद | 58 | | 40 | |
| 12 | आयलसीड्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट | 330 | | 270 | |
| 13 | लाख, गम्स और रेसिन | 192 | | 222 | |
| 14 | वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री | 1 | | 2 | |
| 15 | एनीमल आर वेजिटेबल फैट्स | 25503 | | 22069 | |
| 16 | मीट और मछली की उत्पाद | 17 | | 13 | |

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2009-10 (अनन्ति) | 2010-11 (अनुमानित) |
|--------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| 17 | चीनी | 339 | 4346 |
| 18 | कोका | 101 | 171 |
| 19 | अनाज की उत्पाद | 41 | 44 |
| 20 | सब्जियों की उत्पाद | 33 | 54 |
| 21 | विविध खाद्य उत्पाद | 330 | 655 |
| 22 | ब्रीवेरेज और स्प्रिट | 580 | 253 |
| 23 | खाद्य उद्योग से अवशेष और कूड़ा कबाड़ | 253 | 268 |
| 24 | तंबाकू | 10 | 37 |
| 25 | नमक, सल्फर, एर्थ और स्टोन | 597 | 608 |
| 26 | अयस्क | 6077 | 6910 |
| 27 | मिनरल फ्यूल्स एवं मिनरल तेल | 46127 | 40893 |
| 28 | इनआर्गनिक केमिकल्स | 3374 | 3385 |
| 29 | आर्गनिक केमिकल्स | 8797 | 10123 |
| 30 | फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद | 2284 | 3027 |
| 31 | फर्टिलाइजर | 6705 | 6622 |
| 32 | टेनिंग और डाइंग अवशेष और पिगमेंट | 671 | 431 |
| 33 | ऐसेन्शियल ऑयल | 371 | 320 |
| 34 | साबुन और धोवन निर्मितियां | 196 | 135 |
| 35 | अल्बुमिनोइडल सब्सटेंसिस | 161 | 176 |
| 36 | विस्फोटक, माचिसे | 20 | 6 |
| 37 | फोटोग्राफी माल | 139 | 95 |
| 38 | विविध केमिकल उत्पाद | 2062 | 1607 |
| 39 | प्लास्टिक | 4451 | 3494 |
| 40 | रबर | 1602 | 1826 |
| 41 | हाइड्र एंड स्किन एंड लेवर | 308 | 422 |
| 42 | चमड़े की वस्तुएं | 51 | 50 |
| 43 | फर स्किन | 2 | 7 |
| 44 | लकड़ी | 1186 | 1114 |
| 45 | कार्क | 2 | 1 |
| 46 | स्ट्रा उत्पादक | 0 | 0 |
| 47 | लकड़ी की लुगदी | 400 | 715 |

| अध्याय | माल का संक्षिप्त विवरण | 2009-10 (अनन्ति) | 2010-11 (अनुमानित) |
|--------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 48 | पेपर | 1420 | 1920 |
| 49 | प्रींटिड बुक और अखबार | 395 | 514 |
| 50 | सिल्क | 589 | 537 |
| 51 | ऊन | 309 | 413 |
| 52 | कॉटन | 949 | 2014 |
| 53 | अन्य वेजिटेबल फाइबर्स | 58 | 76 |
| 54 | मानव निर्मित फिलामेंट | 5031 | 5474 |
| 55 | मानव निर्मित रसेपल फाइबर | 567 | 573 |
| 56 | वेडिंग एंड नॉन वोवन | 43 | 57 |
| 57 | कारपेट | 25 | 39 |
| 58 | विशेष वोवन फैब्रिक | 895 | 1192 |
| 59 | कोटिड टेक्सटाइल फैब्रिक | 689 | 912 |
| 60 | निटिड फैब्रिक्स | 193 | 425 |
| 61 | नीटिड रेडिमेट गारमेंट | 30 | 61 |
| 62 | वोवन गारमेंट | 46 | 100 |
| 63 | मेड अप्स | 57 | 70 |
| 64 | फुटवियर | 159 | 285 |
| 65 | हेड गियर | 4 | 3 |
| 66 | छाता | 14 | 13 |
| 67 | पंख/कृत्रिम फूल | 10 | 17 |
| 68 | आर्टिकल आफ स्टोन/प्लास्टर | 159 | 118 |
| 69 | सेरेमिक प्रोडक्ट्स | 322 | 266 |
| 70 | ग्लास एंड ग्लासवेअर | 255 | 161 |
| 71 | प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी | 42440 | 48798 |
| 72 | ऑयरन एंड रस्टील | 8178 | 7616 |
| 73 | आयरन एंड रस्टील की वस्तुएं | 2378 | 1447 |
| 74 | कॉपर एंड और उसकी वस्तुएं | 650 | 418 |
| 75 | निकेल एवं उसकी वस्तुएं | 224 | 186 |
| 76 | अल्युमिनयम और उसकी वस्तुएं | 1091 | 797 |
| 78 | लीड एंड और उसकी वस्तुएं | 348 | 216 |
| 79 | जिंक और उसकी वस्तुएं | 235 | 98 |

| अध्याय | योजना का नाम | 2008-09 (अनतिम) | 2009-10 (अनुमानित) |
|------------|--|-----------------|--------------------|
| 80 | टिन एंड आर्टिकल्स देयरआफ | 71 | 49 |
| 81 | अदर बेस मेहल्स | 174 | 89 |
| 82 | टूल एंड इम्पलीमेंट | 333 | 501 |
| 83 | बेस मेटल्स की विविध वस्तुएं | 201 | 172 |
| 84 | मशीनरी | 17136 | 13070 |
| 85 | इलेक्ट्रीकल मशीनरी | 13377 | 10140 |
| 86 | रेलवे और ट्रामवे लोकोमेटिव, रोलिंग स्टाक आदि | 531 | 100 |
| 87 | मोटर व्हीकल | 3475 | 2932 |
| 88 | एयरक्राफ्ट | 2271 | 1859 |
| 89 | शिप, बोट और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स | 1875 | 1192 |
| 90 | ऑप्टीकल/फोटोग्राफिक इस्ट्रूमेंट्स | 2878 | 2805 |
| 91 | क्लॉक एंड वाचिस | 67 | 50 |
| 92 | स्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट | 6 | 4 |
| 93 | आर्म्स एंड एम्युनिएशन | 290 | 328 |
| 94 | फर्नीचर | 286 | 417 |
| 95 | टायस एंड गेम्स | 148 | 346 |
| 96 | विविध विनिर्मित वस्तुएं | 191 | 205 |
| 97 | वर्क आफ आर्ट, एंटीक्स | 32 | 30 |
| 98 | प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट बैगेज | 643 | 535 |
| कुल | | 233950 | 228500 |

इन आंकड़ों में प्रतिअदायगी को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यकरण से परित्यक्त राजस्व शामिल हैं। अलग अलग निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा पृथक रूप से नीचे दिया गया है। इन स्कीमों में से शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र, टार्गेट प्लस, वीकेजीयूवाई भारत और महत्वपूर्ण बाजार से संचालित प्रोत्साहित स्कीम हैं। शेष या तो छूट स्कीम हैं अथवा निविष्ट कर क्रेडिट प्रदान करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को सामान क्षेत्र प्रदान किया जा सके। इस स्कीम में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों (प्रतिअदायगी को छोड़कर) से परित्यक्त राजस्व को प्रोत्साहन स्कीमों के संवर्ग में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व की राशि तक कम किए जाने की आवश्यकता है। नीचे की सारणी 11 के क्रम संख्या 15 में ऐसे परित्यक्त राजस्व की राशि दी गई है।

सारणी 11 : निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रूपये में)

| अध्याय | योजना का नाम | 2009-10 (अस्थाई) | 2010-11 (अनुमानित) |
|--------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | अग्रिम लाइसेंस योजना | 10089 | 15704 |
| 1 | अग्रिम लाइसेंस योजना | 10089 | 15704 |
| 2 | ईओयू/ईएचटी/एसटीपी | 8076 | 9795 |
| 3 | ईपीसीजी | 7020 | 10091 |
| 4 | डीईपीबी स्कीम | 8028 | 8520 |

| अध्याय | योजना का नाम | 2009-10 (अनंतिम) | 2010-11 (अनुमानित) |
|--------|---|------------------|--------------------|
| 5 | एसईजेड | 3987 | 8614 |
| 6 | डीएफआरसी | 62 | 34 |
| 7 | शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना | 1399 | 1324 |
| 8 | शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र | 234 | 169 |
| 9 | टारगेट प्लस योजनाएँ | 267 | 285 |
| 10 | विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना | 2869 | 1825 |
| 11 | भारत से सेवा योजना | 515 | 500 |
| 12 | फोकस मार्किट/ उत्पाद योजना | 829 | 1729 |
| 13 | योग | 43375 | 58590 |
| 14 | घटा क्रम संख्या 8 से 12 तक प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व | 4713 | 4508 |
| 15 | निविष्ट कर निष्क्रिय अथवा छूट स्कीमों के कारण परित्यक्त राजस्व को सीमा शुल्क के कारण परित्यक्त सकल राजस्व से घटाए जाने हेतु | 38662 | 54082 |

परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त अनुमानों में आपवादिक प्रकृतिक की परिस्थितियों से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत जारी तदर्थे छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11, के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी-12 में दिये गए हैं।

सारणी - 12 : वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 में परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपये में)

| | 2009-10 में राजस्व परित्याग | 2009-10 में वास्तविक संग्रहण | 2010-11 में राजस्व परित्याग | 2010-11 में अनुमानित कर संग्रहण |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| निगमित आयकर | 72881 | 244725 | 88263 | 296377 |
| वैयक्तिक आयकर | 45142 | 132832 | 50658 | 149066 |
| उत्पाद शुल्क | 169121 | 102858 | 198291 | 133300 |
| सीमा शुल्क | 195288* | 85847 | 174418* | 131800 |

* परिव्यक्त सीमा शुल्क घटा निर्यात जमा संबंधित (सारणी 11 की क्रम सं. 15)

परिशिष्ट

उद्योग में नमूना कंपनियों की अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2009-10) (नमूना आकार – 427053)

| क्रम सं. | क्षेत्र | उद्योग | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये) | संदेय कुल कर (करोड़ रुपये) | प्रभावी कर दर (% में) |
|----------|-----------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | विनिर्माण | कृषि आधारित उद्योग | 10099 | 6821 | 1528 | 22.4 |
| 2 | विनिर्माण | आटोमोबाइल एवं आटो पार्ट्स | 3988 | 29887 | 7508 | 25.1 |
| 3 | विनिर्माण | सीमेंट | 658 | 8880 | 1818 | 20.5 |
| 4 | विनिर्माण | हीरा कटाई | 434 | 957 | 195 | 20.4 |
| 5 | विनिर्माण | ओषधि एवं भेषज | 4902 | 24666 | 4852 | 19.7 |
| 6 | विनिर्माण | कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक्स | 2468 | 6444 | 1639 | 25.4 |
| 7 | विनिर्माण | इंजीनियरी माल | 9127 | 27161 | 7495 | 27.6 |
| 8 | विनिर्माण | उर्वरक, रसायन एवं पेन्ट्स | 3640 | 13851 | 3636 | 26.2 |
| 9 | विनिर्माण | आटा एवं चावल मिले | 1256 | 527 | 146 | 17.7 |
| 10 | विनिर्माण | खाद प्रसंस्करण यूनिट | 2373 | 4141 | 1134 | 27.4 |
| 11 | विनिर्माण | संगमरमर एवं ग्रेनाईट | 1806 | 805 | 208 | 25.8 |
| 12 | विनिर्माण | कागज | 1387 | 7550 | 2324 | 30.8 |
| 13 | विनिर्माण | पैट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन | 674 | 81588 | 18876 | 23.1 |
| 14 | विनिर्माण | विद्युत एवं ऊर्जा | 3294 | 46060 | 8071 | 18.4 |
| 15 | विनिर्माण | मुद्रण एवं प्रकाशन | 2412 | 4874 | 1488 | 30.5 |
| 16 | विनिर्माण | रबर | 889 | 712 | 171 | 24.0 |

| क्रम सं. | क्षेत्र | उद्योग | कम्पनियों की संख्या | कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये) | संदेय कुल कर | | प्रभावी कर दर (%) में |
|------------|----------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | (करोड़ रुपये) | (करोड़ रुपये) | |
| 17 | विनिर्माण | इस्पात | 4638 | 24407 | 6378 | 26.1 | |
| 18 | विनिर्माण | चीनी | 250 | 1328 | 225 | 17.0 | |
| 19 | विनिर्माण | चाय एवं काफी | 908 | 2169 | 294 | 13.5 | |
| 20 | विनिर्माण | वस्त्र, हथकरघा तथा पावरलूम | 9017 | 15680 | 1841 | 11.7 | |
| 21 | विनिर्माण | तम्बाकू | 311 | 613 | 172 | 28.0 | |
| 22 | विनिर्माण | टायर | 159 | 2947 | 781 | 26.5 | |
| 23 | विनिर्माण | वनस्पति एवं खाद्य तेल | 629 | 956 | 212 | 22.2 | |
| 24 | विनिर्माण | अन्य | 50047 | 112120 | 28084 | 25.0 | |
| 25 | व्यापार | चेन स्टोर | 728 | 484 | 130 | 26.8 | |
| 26 | व्यापार | खुदरा विक्रेता | 9697 | 2778 | 793 | 28.5 | |
| 27 | व्यापार | थोक विक्रेता | 16959 | 6040 | 1683 | 27.9 | |
| 28 | विनिर्माण | कागज | 62328 | 24134 | 6302 | 26.1 | |
| 29 | विनिर्माण | पैट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन | 3838 | 1041 | 320 | 30.7 | |
| 30 | विनिर्माण | विद्युत एवं ऊर्जा | 12785 | 4975 | 1093 | 22.0 | |
| 31 | विनिर्माण | मुद्रण एवं प्रकाशन | 2583 | 497 | 101 | 20.3 | |
| 32 | विनिर्माण | रबर | 21597 | 16710 | 3153 | 18.9 | |
| 33 | विनिर्माण | इस्पात | 15677 | 3808 | 789 | 20.7 | |
| 34 | विनिर्माण | चीनी | 7657 | 14816 | 3703 | 25.0 | |
| 35 | विनिर्माण | चाय एवं काफी | 20 | 7 | 2 | 32.9 | |
| 36 | विनिर्माण | वस्त्र, हथकरघा तथा पावरलूम | 6 | 0 | 0 | 30.5 | |
| 37 | विनिर्माण | तम्बाकू | 620 | 1895 | 529 | 27.9 | |
| 38 | विनिर्माण | टायर | 7547 | 14335 | 3608 | 25.2 | |
| 39 | विनिर्माण | वनस्पति एवं खाद्य तेल | 62 | 3 | 1 | 29.1 | |
| 40 | विनिर्माण | अन्य | 89 | 29 | 7 | 23.0 | |
| 41 | व्यापार | चेन स्टोर | 211 | 20 | 6 | 31.4 | |
| 42 | व्यापार | खुदरा विक्रेता | 1105 | 229 | 65 | 28.6 | |
| 43 | व्यावसायिक | नर्सिंग होम | 905 | 127 | 35 | 27.1 | |
| 44 | व्यावसायिक | विशेषज्ञ अस्पताल | 826 | 695 | 180 | 25.9 | |
| 45 | व्यावसायिक | अन्य | 4947 | 1776 | 579 | 32.6 | |
| 46 | सेवा | विज्ञापन एजेंसियां | 2317 | 1049 | 321 | 30.6 | |
| 47 | सेवा | ब्यूटी पार्लर | 172 | 14 | 4 | 29.1 | |
| 48 | सेवा | परामर्शी सेवाएं | 12113 | 6290 | 1552 | 24.7 | |
| 49 | सेवा | कुर्सिंयर एजेंसियां | 411 | 450 | 160 | 35.6 | |
| 50 | सेवा | कंप्यूटर प्रशिक्षण, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान | 2377 | 1189 | 438 | 36.8 | |
| 51 | सेवा | विदेशी मुद्रा डीलर | 594 | 170 | 53 | 31.2 | |
| 52 | सेवा | अतिथि सेवाएं | 1973 | 1308 | 355 | 27.1 | |
| 53 | सेवा | होटल | 5766 | 2109 | 597 | 28.3 | |
| 54 | सेवा | सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता | 7821 | 24680 | 3732 | 15.1 | |
| 55 | सेवा | सुरक्षा एजेंसियां | 1133 | 332 | 116 | 35.1 | |
| 56 | सेवा | साप्टवेयर विकास एजेंसियां | 9392 | 23025 | 4149 | 18.0 | |
| 57 | सेवा | ट्रांसपोर्टर | 3437 | 4939 | 1012 | 20.5 | |
| 58 | सेवा | ट्रैवल एजेंट एवं टूर आपरेटर | 3064 | 585 | 171 | 29.2 | |
| 59 | सेवा | अन्य | 45336 | 53959 | 12512 | 23.2 | |
| 60 | वित्तीय सेवाएं | बैंकिंग कंपनियां | 297 | 82780 | 24045 | 29.0 | |
| 61 | वित्तीय सेवाएं | चिट फंड | 2155 | 279 | 89 | 32.0 | |
| 62 | वित्तीय सेवाएं | वित्तीय संस्थान | 302 | 12029 | 3076 | 25.6 | |
| 63 | वित्तीय सेवाएं | वित्त सेवा प्रदाता | 2876 | 4532 | 1271 | 28.1 | |
| 64 | वित्तीय सेवाएं | लीजिंग कंपनियां | 614 | 971 | 173 | 17.8 | |
| 65 | वित्तीय सेवाएं | उधार देने वाला | 441 | 113 | 32.5 | 28.8 | |
| 66 | वित्तीय सेवाएं | गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां | 8147 | 23197 | 5899 | 25.4 | |
| 67 | वित्तीय सेवाएं | शेयर दलाल, उप दलाल आदि | 3835 | 5668 | 1733 | 30.6 | |
| 68 | वित्तीय सेवाएं | अन्य | 19836 | 40622 | 7448 | 18.3 | |
| 69 | मनोरंजन उद्योग | केबल टीवी निर्माण | 292 | 181 | 60 | 33.5 | |
| 70 | मनोरंजन उद्योग | फिल्म वितरण | 318 | 73 | 23 | 31.3 | |
| 71 | मनोरंजन उद्योग | फिल्म प्रयोगशालाएं | 27 | 40 | 5 | 11.9 | |
| 72 | मनोरंजन उद्योग | मोशन पिक्चर निर्माता | 455 | 165 | 37 | 22.2 | |
| 73 | मनोरंजन उद्योग | दूरदर्शन चैनल | 292 | 2133 | 468 | 21.9 | |
| 74 | मनोरंजन उद्योग | अन्य | 4707 | 9508 | 1322 | 18.1 | |
| कुल | | | 427053 | 821943 | 193808 | 23.6 | |